// Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70–2021/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 03 मई, 2021 (13 वैशाखा, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 21/के०अ० 67/1957/धा० 9 ख, 15 तथा 15 क, दिनांक 03 मई, 2021 – हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, 2021।	245–246
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 22/के०अ० 67/1957/धा० 15 तथा 23 ग, दिनांक 03 मई, 2021 – हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण (संशोधन) नियम, 2021।	247–260
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

खान तथा भूविज्ञान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मई, 2021

संख्या का०आ० 21/के०अ० 67/1957/धा० 9 ख, 15 तथा 15क .– खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67), की धारा 9 ख, धारा 15 की उप–धारा (4) तथा धारा 15 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 12 में,–

   (i) खण्ड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

   "(v) ढाई प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि क्षेत्र में प्रचालित पट्टाधारी/संविदाकार द्वारा संबद्ध जिले के जिला खनिज प्रतिष्ठान के खाते में अंशदान के रूप में देय अनिवार्य भाटक/रायल्टी/संविदा राशि की देय तिथि को या देय तिथि से सात दिन के भीतर जमा की जानी है।"

   (ii) खण्ड (vii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

   "(viii) अनिवार्य भाटक/रायल्टी/संविदा राशि के मद्दे सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि का ढाई प्रतिशत।"

3. उक्त नियमों में, नियम 12 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

   "12क. अंशदान करने में चूक.– यदि पट्टाधारी/संविदाकर, नियम 12 के खण्ड (v) के अनुसार निधि में अंशदान करने में असफल रहता है, तो वह बारह प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित उसे भुगतान करने हेतु दायी होगा।"।

टी० सी० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खान तथा भूविज्ञान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 3rd May, 2021

No. S.O. 21/C.A. 67/1957/Ss. 9B, 15 and 15d/2021.— In exercise of the powers conferred by section 9B, sub-section (4) of section 15 and 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana District Mineral Foundation Rules, 2017, namely:–

1. These rules may be called the Haryana District Mineral Foundation (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Haryana District Mineral Foundation Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 12, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:–

"(v) an additional amount equal to two and half percent to be deposited on the due date or within seven days from due date of the due dead rent /royalty/ contract money as contribution to the Fund in the account of the District Mineral Foundation of the District concerned by the lessee/ contractor operating in the area."

(ii) after clause (vii), the following clause shall be added, namely:–

"(viii) two and half percent of the amount received by Government on account of the dead rent or royalty or contract money."

3. In the said rules, after rule 12, the following rule shall be inserted, namely:–

12A. In case the lessee/contractor fails to contribute in the fund as per clause (v) of rule 12, he shall be liable to pay same with an interest at the rate of twelve percent per annum.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Mines and Geology Department.

9164—L.R.—H.G.P., Pkl.